न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 23/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मीठालाल पुत्र गुलाराम जाति गुर्जर निवासी जोगडावास तहसील मा0जं0		1. पानीदेवी बेवा चिमनाराम जाति कुम्हार के का0मु0 1/1 अणची पुत्री पानीदेवी पत्नि भोलाराम जाति कुम्हार निवासी जोगडावास तह0 मा0जं0 2. घीसाराम पुत्र देवाराम जाति सिरवी 3. भुराराम पुत्र देवाराम जाति सिरवी 4. कानाराम पुत्र देवाराम जाति सिरवी 5. सूरजमल पुत्र देवाराम जाति सिरवी 6. चन्दणीबाई बेवा देवाराम जाति सिरवी निवासीगण जोगडावास तहसील मा0जं0 7. सरकार जरिये तहसीलदार मा0जं0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार,
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 29/8/2017

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 22/2015 में तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा दिनांक 25.05.2017 को रेकर्ड प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम जोगडावास तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नमबर 709 रकबा 2.971 हैक्टेयर किस्म पेटा तालाबी की भूमि में अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 का 1/2 हिस्सा निहित है। अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा पूर्व में पानीदेवी बेवा चिमनाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। पानीदेवी की मृत्यु दिनांक 30.09.2011 को हो चुकी है एवं अणचीदेवी पुत्री पानीदेवी उसकी वारिश है। उक्त भूमि में पानीदेवी द्वारा अपने हिस्से की भूमि स्वअर्जित होने के कारण दिनांक 29.07.2000 को अपीलाण्ट के पक्ष में वसीयत कर दी थी, तब से लेकर आज दिनांक तक अपीलाण्ट का मौके पर कब्जा काश्त है। पानीदेवी द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में 10 रूपये के स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर वसीयत अपीलाण्ट को सुपुर्द कर दी थी एवं पानीदेवी का दिनांक 30.09.2011 को देहान्त हो जाने के कारण उक्त वसीयत इस दिनांक से प्रभाव में आ चुकी है। पानीदेवी के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

वारिशान को भी इससे आपत्ति नही है। अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार मा0जं0 के समक्ष दिनांक 01.12.2014 को प्रस्तुत कर फौतेदगी नामान्तरकरण दायर करवाने का निवेदन किया, जिस पर तहसीलदार मा0जं0 ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की एवं प्रकरण दिनांक 12.01.2015 को दायर किया तथा किसी भी पक्षकार को तलब किये बिना ही दिनांक 30.06.2016 को अन्तिम आदेश पारित कर दिया तथा स्वयं अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया। जैर अपील आदेश अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में यह अंकित करते हुए पारित किया कि वसीयतकर्ता एवं ग्रहिता एक जाति के नही है एवं जमीन पेटा काश्त है एवं भूमि स्वअर्जित नही है, जबकि अपीलाण्ट से कोई साक्ष्य सबूत नही लिये गये एवं वसीयत के बारे में दस्तावेज प्रदर्श नही किये गये न ही कानूनी बिन्दुओं का अवलोकन किया। सम्वत् 2019 में पानीदेवी का कब्जा काश्त होने के कारण मिसल हकीयत में पानीदेवी का नाम दर्ज किया गया है। मिसल हकीयत बनने से पहले ही पानीदेवी के पति फौत हो चुके थे, इस स्थिति में उक्त भूमि पानीदेवी की स्वअर्जित ही मानी जावेगी। जैर अपील आदेश पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी बिन्दुओं की भूल की गई है, वसीयत कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित कर सकता है। जमीन पेटा काश्त होने से वारिशान के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण भरा जाता है, तो उसमें कोई कानूनी बाधा नही है एवं वसीयत गृहिता को कूननी वारिश माना जावेगा। इस प्रकार तहसीलदार मा0जं0 द्वारा पारित जैर अपील आदेश विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। अतः अपील खारिज करावे।

बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार मा0जं0 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उत्तराधिकारी नामान्तरकरण दायर करवाने का निवेदन किया, इस पर तहसीलदार मा0जं0 द्वारा पत्रावली कायम कर नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। इस पर दिनांक 12.01.2015 को प्रकरण संख्या 22/2015 दर्ज किया गया। इस दिनांक को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात दिनांक 06.04.2015 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त करने तथा पुनः नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये। इस सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयतकर्ता के वारिशान को नोटिस ही जारी नही किया तथा न ही वसीयतकर्ता के वारिशान बाबत कोई जांच की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के तहत प्रकरण दर्ज तो अवश्य किया गया, किन्तु उसमें विधि अनुसार कोई कार्यवाही नही की गई, जिसके कारण इस सन्दर्भित धारा के तहत प्रकरण विशुद्ध रूप से निर्णित नही माना जा सकता है। इस कारण प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील योग्य बनता है, जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से प्रकरण इस न्यायालय के सुनवाई योग्य पाया जाता है। जैसा कि उपरोक्त तथ्यों से यह पूर्णतः साबित हो चुका है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये तथा न ही विधि अनुसार समुचित सुनवाई की गई। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 22/2015 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार मारवाड जंक्शन को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब कर, साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रदान कर, नियमों के परिप्रेक्ष्य में दस्तावेजात का पूर्ण परीक्षण कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29/8/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली